

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर ग्राम-केरता
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक-डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांक: 15.10.2006

बगास हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र वर्ष 2026-27

बगास हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा की नियम एवं शर्तें



कारखाना स्थल : ग्राम-केरता, तहसील - प्रतापपुर,
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

ठेकेदार का नाम व पता

.....
.....
.....



दिनांक


निविदा फार्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर
G.M. (Admin)

M.M.S.S.K. Ambikapur
E:\Bagasse Handling Tender

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर
ग्राम-केरता जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

बगास हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा वर्ष 2026-27

निविदा प्रपत्र

ई-निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1003(04)

दिनांक 14/10/2026

ऑन लाईन ई-निविदा क्रमांक 201993

पेराई सत्र 2026-27 के लिए बगास हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

1	पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम	श्री/मेसर्स
2	फर्म का पता	
3	निविदा फार्म का मूल्य	रुपये 1311.00 (एक हजार तीन सौ ग्यारह रुपये मात्र) वापसी योग्य नहीं है को http://eproc.cgstate.gov.in में जाकर ऑनलाईन पेमेन्ट करना होगा। जमा नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4	निविदा प्रपत्र विक्रय/प्रपत्र जमा की तिथि एवं समय	दिनांक 16/10/2026 को समय शाम 07.00 बजे से दिनांक 29/10/2026 को समय दोपहर 12.00 बजे तक http://eproc.cgstate.gov.in से निर्धारित शुल्क जमा कर डाऊनलोड/अपलोड कर सकते हैं।
5	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 29/10/2026 को समय दोपहर 01.30 बजे के बाद।

6. अमानत/ई.एम.डी. राशि - निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई0एम0डी0 हेतु राशि रुपये 60,000.00 रुपये (शब्दों में :- साठ हजार रुपये मात्र) कारखाने के खाते में (खाता नं 50100497159999 HDFC Bank Ambikapur, IFSC Code :- HDFC0009495) में माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित - अम्बिकापुर के नाम से जमा करनी होगी। RTGS/NEFT/TRANSFER के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नहीं होने पर आपकी निविदा निरस्त की जाएगी। ई.एम.डी. राशि जमा की पावती को ई-निविदा के भाग-1 ई0एम0डी0 भाग में संलग्न करना अनिवार्य होगा।



प्रबंध संचालक
माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित अम्बिकापुर ग्राम केरता

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अम्बिकापुर ग्राम-केरता
बगास हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा वर्ष 2026-27

1. पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम :
2. पता :
:
3. मोबाईल नं. :
4. ई-मेल आई.डी. :
5. जी.एस.टी. नम्बर :
(छायाप्रति संलग्न करें)
6. पैनकार्ड नम्बर :
(छायाप्रति संलग्न करें)
7. लेबर ठेकेदारी पंजीयन क्रमांक :
(छायाप्रति संलग्न करें)
8. वैधता की तिथि :
9. फर्म का बैंक एवं शाखा :
10. फर्म का खाता क्रमांक :
11. ई.एम.डी. जमा राशि : शब्दों में.....
12. यू.टी.आर. नम्बर :
13. कारखाने का बैंक एवं शाखा :
(जिसमें ई.एम.डी. जमा की गई है)



पंजीकृत ठेकेदार का नाम एवं हस्ताक्षर

-:: ई-निविदा की नियम एवं शर्तें ::-

ई-निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1003(04)

दिनांक 14/10/2026

1. निविदाकार को भाग - दो, तकनीकी भाग में निविदा प्रपत्र (नियम एवं शर्तों) का समस्त पेज में सील एवं हस्ताक्षर कर संलग्न करना होगा। एवं जी.एस. टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नम्बर की छायाप्रति, वैध लेबर ठेकेदारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में से किसी तीन वर्ष का किन्तु लगातार वर्ष का आयकर रिटर्न अथवा बैलेन्सशीट अथवा आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति, श्रमिक का जीवित बीमा की छायाप्रति एवं 01 ट्रेक्टर लोडर हेतु एवं 01 ट्रेक्टर अन्य कार्य हेतु कुल 02 ट्रेक्टर स्वयं के नाम से अथवा स्वयं के नाम से ना होने पर 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र निस्पादित कर उक्त दोनों ट्रेक्टरों का पंजीयन एवं बीमा की छायाप्रति निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. श्रम विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग लेबर लाईसेन्स की आवश्यकता होती है। नियमानुसार बगास हेण्डलिंग का कार्य हेतु कार्यदेश प्राप्ति के पश्चात श्रम विभाग से कम से कम 30 मजदूरों का लेबर लाईसेन्स प्राप्त कर 15 दिवस के अन्दर जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
3. बगास हैण्डलिंग का कार्य तीन पाली में किया जायेगा। बगास हैण्डलिंग कार्य हेतु प्रत्येक पाली में 08 मजदूर और 02 ट्रेक्टर ड्राइवर सहित, (एक ट्रेक्टर लोडर के लिए एवं एक ट्रेक्टर अन्य कार्य के लिए देना अनिवार्य होगा) अगर उक्त मजदूर एवं ड्राइवर शिफ्ट में अनुपस्थित पाये जाने पर उस दिन का बिल का भुगनान नहीं किया जायेगा। (01 ट्रेक्टर लोडर हेतु एवं 01 ट्रेक्टर अन्य कार्य हेतु स्वयं के नाम से अथवा स्वयं के नाम से ना होने पर 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र निस्पादित कर, पंजीयन एवं बीमा की छायाप्रति निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा)।
4. भाग-2, तकनीकी भाग में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं भाग-3, व्यावसायिक भाग में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।
5. बगास हेण्डलिंग कार्य का दर प्रति दिवस (24 घण्टा) समस्त लेबर, 02 ट्रेक्टर ड्राइवर सहित होगा दिये गये दर पर जी.एस.टी. अतिरिक्त दी जावेगी एवं अन्य प्रकार के कर ठेकेदार को वहन करना पड़ेगा एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा तथा जी.एस.टी. समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा जिससे कारखाना को जी.एस.टी. का क्रेडिट



लिया जा सके जी.एस.टी. का क्रेडिट नहीं मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।

6. प्रत्येक पाली में अधिकृत मजदूर एवं ड्राइवर फोटो पहचान पत्र पता एवं मोबाइल नम्बर जमा करना अनिवार्य है।
7. बायलर बन्द के समय का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. बगास हैंडलिंग के वजह से ट्रैक्टर/मजदूर से किसी भी तरह का आर.बी.सी. एवं अन्य मशीनरी का नुकसान हो जाता है। या फैक्ट्री का संचालन प्रभावित होता है एवं प्रेशर डाउन हो जाता है तो 20,000 रुपये (बीस हजार) प्रति घंटा से राशि कटौती की जायेगी।
9. मशीन ट्रीप के समय का पैसा नहीं दिया जावेगा इस समय में कार्य आप अपने व्यवस्था के लिए करेंगे।
10. सुरक्षा के सभी उपकरण एवं रेनकोट अपने सभी मजदूर को देना पड़ेगा। मधुमक्खी से सुरक्षा उपकरण देना पड़ेगा। मधुमक्खी के कारण कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
11. बगास सुरक्षा हेतु बगास पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव करना अनिवार्य होगा।
12. प्रत्येक पाली में प्रत्येक मजदूर को टाइम ऑफिस और बायलर इंचार्ज के पास उपस्थिति देना अनिवार्य होगा।
13. बगास हैंडलिंग कार्य के साथ बगास की आग से सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी इसकी क्षतिपूर्ति आपकी होगी।
14. बगास हैंडलिंग में किसी भी दुर्घटना में मजदूर को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदाई आप होंगे संस्था/कारखाना प्रबंधन नहीं होगी।
15. प्रत्येक मजदूर को हेलमेट, सेफ्टी शूज, गॉगल, यूनिफार्म, मास्क एवं ठेकेदार के साईन सहित पहचान पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा
16. ट्रैक्टर एवं लोडर को कारखाने से डीजल नहीं दिया जायेगा।
17. बगास सेलो फैन के पास साफ-सफाई करना नियमित रूप से अनिवार्य होगा एवं मिल बन्द के दौरान वैक्यूम फिल्टर के लिए बगाससिलो से बगास डालना अनिवार्य होगा। चालू मिल में भी बगाससिलो के पास बगास हटाना नियमित रूप से अनिवार्य होगा। उक्त कार्यों में लापरवाही पाये जाने पर प्रति पाली में बिल से 2,000.00 रुपये (दो हजार) कटौती किया जायेगा।
18. प्रत्येक पाली में बगास हैंडलिंग कार्य की देख-रेख हेतु एक सुपरवाइजर रखना अनिवार्य होगा, जिसको कार्य का रिपोर्टिंग बायलर इंचार्ज एवं शिफ्ट इंचार्ज को देना अनिवार्य होगा।



19. प्रत्येक पाली के अनुसार अपने मजदूरों का हाजरी का मास्टर अपने सुपरवाइजर द्वारा रखना अनिवार्य होगा। जिसमें प्रतिपाली/प्रति दिन बॉयलर इंचार्ज/शिफ्ट इंजिनियर/चीफ इंजिनियर का साइन कराना अनिवार्य होगा। जिसके आधार पर बिल का भुगतान किया जायेगा।
20. बगास हेण्डलिंग कार्य में लगे मजदूरों का श्रम नियमानुसार बीमा किया जाना अनिवार्य है मजदूरों को बगैर बीमा कार्य में रखे जाते हैं तो इसके लिए आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
21. कारखाना प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
22. वर्तमान में को-जेनरेशन पावर प्लांट संचालित है एवं विद्युत विक्रय का कार्य लगातार होना है जिसमें लगातार बगास फिडिंग की आवश्यकता होती है अतः उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बगास फिडिंग कार्य प्रभावित होने के परिणामस्वरूप को-जेनरेशन पावर प्लांट संचालन में बाधा आती है तो उक्त हानि की भरपाई आपसे की जावेगी तथा प्रबंधन द्वारा कारखाना हित में निर्णय लिया जावेगा।
23. निर्धारित संख्या में मजदूर का नियोजन नहीं करने एवं ट्रैक्टर नहीं लगाने पर कार्य में अवरोध होने की स्थिति में अवरोध के अनुपात में राशि की कटौती की जा सकेगी। नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करने पर भविष्य में कार्य के लिए प्रतिबंधित किया जा सकेगा एवं ई.एम.डी. की जप्ती तथा निविदाकार/ठेकेदार को भविष्य के लिए कालीसूची में डालने की कार्यवाही की जा सकेगी।
24. निविदा के लिए निर्धारित शर्तों में परिवर्तन/निरस्त/नेगोशियेसन एवं शर्तों को शिथिल करने का अधिकार प्रबंध संचालक/क्रय विक्रय समिति को होगा।
25. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।
26. प्रबंध संचालक/क्रय विक्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढ़ाने, निविदा निरस्त करने एवं कायदेशि निरस्त करने सम्बंधी पूर्ण अधिकार होगा।



पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं.....फर्म प्रतिनिधि
का नाम.....पिता का नाम
फर्म का पता.....
मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया दर न्यूनतम है एवं इससे कम दर पर कार्य नहीं करूंगा।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सामाग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कायदेशों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।
4. मैंने निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नहीं किया है और नहीं कोई अनुचित व्यावहार किया है जिससे अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रुपये कारखाना के खाता क्रमांक में राशि रुपये.....दिनांक.....को संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है तो समस्त ई0एम0डी0 राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूँ।



निविदाकार का हस्ताक्षर